सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की चार्टर विकास उड़ान

* नीरज बाजपेयी

नए उद्यम प्रारंभ करने वालों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, लगता है कि एमएसएमईज (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है और इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजनाओं के परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे हैं।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमईज के आठ प्रतिशत योगदान को देखते हुए केन्द्र सरकार ने हाल ही में व्यापार को आसान बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की थी। उम्मीद की जा रही है कि भारत विश्व की प्रमुख अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहा है और वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार पिछले वर्ष की 7.3 प्रतिशत वृद्धि दर से इस वर्ष की वृद्धि दर अधिक होगी। इसमें से अधिकतर बढ़ोतरी एमएसएमईज से होने का अनुमान है क्योंकि यह क्षेत्र एक प्रमुख संचालक के रूप में उभर रहा है।

विकसित देशों में वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमईज का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है,जिससे समग्र रोजगार में 45 प्रतिशत योगदान होता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमईज की महत्वपूर्ण भूमिका है और करीब 10.6 करोड़ लोग इस क्षेत्र में नियोजित हैं। कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत और विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में 361.76 लाख उद्यम है और इनमें से 15.64 लाख पंजीकृत है। इस क्षेत्र में व्यापार आसान बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में एमएसएमईज के पंजीकरण के लिए आधार उद्योग ज्ञापन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जीर्णोद्धार और पुनर्वास हेतु फ्रेमवर्क और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) शामिल हैं।

उद्यमों का संचालन करने वाले अनेक उद्योगपतियों ने एमएसएमईज के तीव्र विकास में रूकावटों के बारे में अपनी चिंताएं प्रकट की हैं। परन्तु, एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस क्षेत्र का तीव्र विकास होगा। एमएसएमई क्षेत्र के पंजीकरण के लिए हाल ही में शुरू की गयी सरलीकृत आधार-आधारित पंजीकरण प्रणाली के बारे में सरकार को अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है। 800 दिन की अल्पावधि में ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकरण मिलने शुरू हो गए हैं।

पीएमईजीपी से 2015-16 के दौरान करीब 1,18,196 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। श्री मिश्र ने खादी की बिक्री में बढ़ोतरी और धीरे-धीरे उसकी लोकप्रियता बहाल होने की उम्मीद जाहिर की है। खादी और ग्राम उद्योगों में पिछले एक वर्ष यानी अक्तूबर 2014-15 तक 17.55 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

एमएसएमईज के उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के अंतर्गत मंत्रालय ने पिछले वर्ष एक पृष्ठ का सरल पंजीकरण फार्म जारी किया, जो राज्यों और अन्य सम्बद्ध पक्षों से परामर्श के बाद जारी किया गया है। "उद्योग आधार" नामक फार्म राज्यों और सम्बद्ध पक्षों से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताओं में एकल पृष्ठ ऑनलाइन पंजीकरण-मोबाइल अनुकूल होना ; स्व-प्रमाणन; एक से अधिक उद्योग आधार ; कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं और कोई शुल्क नहीं, शामिल हैं।

इसी प्रकार एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यमों के जीर्णोद्धार और पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क भी अधिसूचित किया गया है। व्यापार जगत की तेजी से बदलती वास्तविकताओं को देखते हुए अनेक उद्यमी एमएसएमईडी अधिनियम में व्यापक परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 25 मार्च को अपनी बैठक में एमएसएमई विकास अधिनियम- 2006 में संशोधन के लिए एमएसएमई संशोधन विधेयक 2015 नाम के कानूनी उपाय सम्बन्धी मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था।

घोषित फ्रेमवर्क उद्यमियों की निश्चित आवाज के साथ जीर्णोद्धार और पुनर्वास की व्यवस्था करता है और इससे देनदारों और लेनदारों के बीच संतुलन कायम होने की उम्मीद है। यह फ्रेमवर्क बैंकों/लेनदारों को उन एमएसएमईज की पहचान करने में सक्षम बनाता है जो आरंभिक दबाव की स्थिति में है ताकि उन्हें अलाभकारी सम्पत्ति बनने से रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

एमएसएमई बैंकों द्वारा गठित एक समिति, जिसमें राज्य सरकारों से प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और अन्य सदस्य होते हैं, के जरिये जीर्णोद्धार और पुनर्वास लाभ की मांग कर सकते हैं। श्री मिश्र ने बताया कि इसी तरह पीएमईजीपी के प्रति भी बेरोजगार युवाओं ने भारी उत्साह दिखाया है। 2008-09 में शुरू किए जाने के बाद से यह कार्यक्रम 28088 लाख व्यक्तियों को 3.37 लाख उद्यमियों के स्थापना के जरिये रोजगार का अवसर प्रदान करने में सफल रहा है। इसके अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 6712.97 करोड़ रूपये दिए गए।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमईजीपी के कार्य निष्पादन में व्यापक सुधार (दस गुना) हुआ है। मंत्रालय ने फेसबुक और ट्वीटर के माध्यम से परस्पर संवाद कायम किया ताकि कार्यक्रमों, योजनाओं आदि के बारे में जानकारी का सम्प्रेषण किया जा सके और व्यापक जन समुदाय के साथ जुड़ा जा सके। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत मंत्रालय हर वर्ष8 से 9 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि वे नए उद्यम स्थापित कर सके या उद्योगों में काम करने के लिए अपने को तैयार कर सकें।

इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) का रूप दिया जायेगा और उनके लिए एक समान वित्त व्यवस्था की जायेगी। एमएसएमई-सैमसंग डिजिटल स्कूल फॉर डिवेलप्मेंट ऑफ मोबाइल एप्स की स्थापना के लिए सैमसंग इलेक्ट्रोनिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दस स्थानों (लुधियाना, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता) में एमएसएमई-सैमसंग टैक्निकल स्कूल स्थापित किए गए हैं ताकि तकनीकी दृष्टि से शिक्षित युवाओं के कौशल विकास गतिविधियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

ढांचागत विकास के लिए, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद ने अप्रैल से सितम्बर 2015 की अवधि में देश में विभिन्न स्थानों पर 46 प्रतिभा मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 332 रोजगार प्रदाताओं ने रोजगार चाहने वाले 29066 व्यक्तियों में से 9,121 उम्मीदवारोंको रोजगार के लिए चुना। इसके अलावा 85 कम्पनियों ने पिछले महीने देवनगेरे, कर्नाटक में आयोजित किए गए प्रतिभा मेले में हिस्सा लिया, जहां नौकरी के लिए पंजीकृत करने वाले 9,141 व्यक्तियों में से 3,104 उम्मीदवारों को रोजगार के लिए चुना गया।

एमएसएमईज ने उत्पादन और राजस्व सृजन, दोनों ही क्षेत्रों में निरंतर विकास किया है, परन्तु, कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इसी प्रकार पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान एमएसईएमईज पोर्टफोलियो में कुछ क्षेत्रों ने प्रतिस्पर्धा में कुछ अन्य क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है।

श्री मिश्र ने बताया कि सरकार चाहती है कि एमएसएमई संस्थाएं उच्च वृद्धि दर प्राप्त करें और उसका मंत्रालय एमएसएमई संस्थानों को सहायता प्रदान करने में नीति समर्थन के जरिये समर्थक फ्रेमवर्क प्रदान करने और कराधान सुधार, नियामक प्रणालियों में सुधार और वित्त व्यवस्था करने सम्बन्धी सुधारों सहित नीतिगत शून्यता दूर करने के लिए संस्थागत सुधार लाने में दोहरी भूमिका अदा करें। उन्होंने इस क्षेत्र के भीतर सरकार के नीतिगत उपायों के बारे में अलग-अलग हितों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की आवश्यकता पर बल दिया और इन उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए समकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लाभ उजागर किए।

विशेषज्ञों और वित्तीय संस्थाओं ने हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श किया कि एमएसएमई क्षेत्र उद्योग और रोजगार वृद्धि की दिशा में अपना योगदान कैसे बढ़ा सकता है। उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए अवसरों के बारे में भी विचार-विमर्श किया ताकि उन्हें हासिल किया जा सके। मेक इन इंडिया अभियान के विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने एमएसएमई के लिए व्यापक अवसर खोले हैं ताकि वे रक्षा, विद्युत, रेलवे, ढांचागत और अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ भागीदार बन सके।

देश में विनिर्माण पर बल दिए जाने को देखते हुए एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। मुंबई सम्मेलन में विभिन्न सम्बद्ध पक्षों को एकजुट करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जो इस क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने में सक्षम हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रमुख उद्यमियों को विचारों, प्रशिक्षण और अवसरों को परस्पर साझा करना चाहिए।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में 23.89 करोड़ रूपये (95.6 प्रतिशत) का बजट आबंटन किया गया था जबकि इसकी तुलना में 2013-14 में 22.81 करोड़ रूपये (87.73 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। एमएसएमई मंत्रालय का योजना परिव्यय 2015-16 में 2512.51 करोड़ रूपये था और यह सकल बजटीय सहायता विभिन्न विभागों के बीच आबंटित की गयी थी।

मंत्रालय का गैर योजना परिव्यय 394.91 करोड़ रूपये का था जिसमें से खादी एवं ग्राम उद्योग और नारियल बोर्ड को निर्दिष्ट व्यय करना था। इन गतिविधियों के चलते रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2013-14 (अप्रैल 1-मार्च 31) के वित्तीय विवरण के आधार पर करीब 8,400 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया। अध्ययन से पता चलता है कि इन एमएसएमईज का औसत वार्षिक कारोबार जो 2011-12 में 15.18 करोड़ रूपये था वह 2012-13 में बढ़कर (19 प्रतिशत वृद्धि के साथ) 18.14 करोड़ रूपये और 2013-14 में बढ़कर (13 प्रतिशत वृद्धि के साथ) 20.53 करोड़ रूपये पर पहुंच गया।

अन्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन की तुलना में दक्षिणी राज्यों तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में एमएसएमईज का निष्पादन बेहतर रहा। दक्षिणी इकाईयों के वार्षिक औसत कारोबार में 2013-14 के दौरान 21 प्रतिशत बढ़तरी दर्ज हुई, जबकि एमएसएमईज की समग्र वृद्धि 13 प्रतिशत थी। आंध्रप्रदेश और तमिलानाडू में एमएसएमईज ने क्रमश: 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और वे इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख योगदान कर्ता के रूप में उभरे। दक्षिणी इकाईयों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान औषधि एवं स्वास्थ्य

देखभाल (एमएसएमईज के औसत वार्षिक कारोबार में 45 प्रतिशत वृद्धि) क्षेत्र, धातु (35 प्रतिशत), चमड़ा (32 प्रतिशत), कृषि-प्रसंस्करण (21 प्रतिशत), टेक्सटाइल (17 प्रतिशत) और आईटी (16 प्रतिशत) क्षेत्र का रहा।

भावी विकास के संदर्भ में दक्षिणी राज्यों के एमएसएमई अन्य क्षेत्रों की तुलना में आगे निकलेंगे क्योंकि इन राज्यों में औद्योगिक विकास नीतियों के लिए समर्थन मिलता है और दक्षिणी तमिलनाडू के कम विकसित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं, राज्य में मदुरै-तुतिकोरिन कॉरिडोर का विकास किया गया है, अटल शहरी जीर्णोद्धार शहरी रूपांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्रप्रदेश में 31 शहरों का ढांचागत विकास किया गया है।

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री श्री सुभाष देसाई ने हाल ही में मुंबई में सीआईआई की एक बैठक में कहा था कि भारत की प्रगति इसके राज्यों और उनमें स्थिति उद्योगों की प्रगति पर निर्भर करती है। यह तभी संभव है जब बड़ी कम्पनियांएमएसएमईज संस्थाओं का हाथ पकड़े और उन्हें सहयाता करे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि न केवल सरकार की ओर से बल्कि उद्योग जगत और अन्य संस्थानों की ओर से भी एमएसएमईज को जो समर्थन मिल रहा है वह अत्यंत उत्साजनक है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए उद्यम शुरू करने वालों को प्रोत्साहित करते हुए और पिछड़ रहे उद्यमों की सहायता करते हुए औद्योगिक विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मंत्री ने बड़े उद्योगों से अपील की कि वे आगे आयें।

उन्होंने कहा कि एसएमईज को ऋण की ऊंची लागत वहन करनी पड़ती है जो समय पर उनके पास नहीं पहुंचता। इन संस्थानों को प्रचालन और कार्यशील पूंजी (मुख्य रूप से कार्मिक और विद्युत लागत) के लिए धन उपलब्ध कराने; उनके आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन ; विपणन और क्षमता विस्तार की आवश्यकता है। पूंजी का प्रवाह पर्याप्त नहीं है और ऋण की आवश्यकता के बारे में आंकड़े भी उपलब्ध नहीं होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए जारी किए गए विभिन्न नीति निर्देशों और घोषित कार्यक्रमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए।

उनके लिए प्रस्तावित सुविधाओं के चार्टर में निम्नांकित सुविधाओं का समर्थन किया गया है: सहायक और तृतीय पक्ष गारंटी के लिए आग्रह किए बिना अधिक मात्रा में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चत की जाय; एमएसएमई के लिए इक्विटी भागीदारी सक्षम बनायी जाय; एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कलस्टर विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाय; निर्यात सम्बन्धी प्रक्रियाओं और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया सरल बनायी जाय; निर्यात के लिए -सक्षम प्रणाली और विदेश व्यापार नीति निरंतरता; अनुपालन सरल बनाये जायेंऔर एमएसएमई पर लागू होने वाले श्रम अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण नीति लागू की जाय; उद्योग में स्त्री पुरूष अंतराल दूर करने के लिए महिला उद्यमियों के लिए 25 प्रतिशत निधि आबंटन सुरक्षित किया जाय; और औद्योगिक कॉरिडोरों में भूमि आबंटन की व्यवस्था की जाय।

*{*श्री नीरज बाजपेयी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) में संयुक्त सम्पादक हैं। व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं।}*

****

(पीआईबी फीचर)